



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18082022-238193
CG-DL-E-18082022-238193

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3687]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 17, 2022/श्रावण 26, 1944

No. 3687]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 17, 2022/SHRAVANA 26, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अगस्त, 2022

का. आ. 3861(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, उत्तराखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH134 (94) के धरासू से यमुनोत्री मार्ग के कि.मी 77.025 से कि.मी 79.30 तक के 2 लेन राजमार्ग और सुरंगनिर्माण चौड़ीकरण रखरखाव प्रबंधन और संचालन उन्नयन हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

उत्तराखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH134 (94) पर भूमि का अधिग्रहण।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम									
1	2	3	4	5	6	7									
1	सक्षम प्राधिकारी,(भू0अ0), अपर जिलाधिकारी. उत्तरकाशी	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH134 (94) के कि.मी. 77.025 से 79.3 तक	उत्तराखंड	उत्तर कशी	<table><tr><td rowspan="4">बड़कोट</td><td>1</td><td>कुठार</td></tr><tr><td>2</td><td>बजरी</td></tr><tr><td>3</td><td>कुनसाला</td></tr><tr><td>4</td><td>त्रिखली</td></tr></table>	बड़कोट	1	कुठार	2	बजरी	3	कुनसाला	4	त्रिखली	
बड़कोट	1	कुठार													
	2	बजरी													
	3	कुनसाला													
	4	त्रिखली													

[फा. सं. NH-134(94)-UR-2020-21-573/LA/01]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th August, 2022

S.O. 3861(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for building (Two laning, widening and Tunnel construction etc.) maintenance, management and operation of Dharasu - Yamunotri section of National Highway-134 (old NH-94) from Km. 77.025 to Km.79.30, in the State of UTTARAKHAND.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH134 (94) in the State of UTTARAKHAND.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village								
1	2	3	4	5	6	7								
1	Additional District Magistrate (ADM), Uttarkashi.	77.025KM To 79.3KM	UTTARAKHAND	UTTAR KASHI	Barkot	<table><tr><td>1</td><td>Kuthar</td></tr><tr><td>2</td><td>Bajari</td></tr><tr><td>3</td><td>Kunshala</td></tr><tr><td>4</td><td>Trikhali</td></tr></table>	1	Kuthar	2	Bajari	3	Kunshala	4	Trikhali
1	Kuthar													
2	Bajari													
3	Kunshala													
4	Trikhali													

[F. No. NH-134(94)-UR-2020-21-573/LA/01]

RAJESH GUPTA, Director